वित्तीय स्वीकृति

संख्या-११/२०१९/१०१/52-3-2016-बजट(12)/2015(ए)

प्रेषक,

इच्छाराम,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण
उ0प्र0, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक १८मार्च, 2019

विषयः-केन्द्रपुरोनिधानित मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के मदरसों में कम्प्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष इन्ट्रीग्रेटेड कम्प्यूटर प्रोजेक्टर की आपूर्ति हेतु प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-4152/अ0स0क0नि0/मद0आधु0/2018-19 दिनांक 02.11.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लाट सं0-1506 की धनराशि से प्रदेश के मदरसों में कम्प्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया था।

2. इस सबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लाट सं0-1506 के अन्तर्गत कुल 86 मदरसों में कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु रू0 01,00,000/-प्रति मदरसे की दर से कुल रू0 86,00,000/- की धनराशि भारत सरकार द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी है, जिसे दिनांक 31.03.2018 द्वारा शासन को समर्पित किया जा चुका है।

3. चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 3,36,36,90,000/- में से 86 मदरसों में कम्प्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना हेतु एक-एक कुर्सी व मेज सहित इन्ट्रीग्रेटेड कम्प्यूटर प्रोजेक्टर की आपूर्ति के लिए रू0 97,997/- की दर से उक्त सामग्री का क्रय श्रीट्रान इण्डिया लि0 गोमती नगर, लखनऊ के माध्यम से कराये जाने हेतु रू0 84,27,742/- (रू0 चैरासी लाख सत्ताइस हजार सात सौ बयालिस मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- केवल उन्हीं मदरसों में सामग्री की आपूर्ति की जायेगी जिनके लिये भारत सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त की गयी है।
2- क्रय की जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं दर सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0, लखनऊ का हागा।
3- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपकरणों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो एवं मूल्य प्रचलित बाजार से अधिक न हो।
4- मदरसों में सामग्री की आपूर्ति हेतु संबंधित फर्म को अलग से कोई भाड़ा इत्यादि देय नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- कार्यदायी संस्था को अग्रिम के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि पर धनराशि प्राप्त होने के दिनांक से वास्तविक व्यय होने के दिनांक तक जो भी ब्याज अर्जित किया जायेगा उसे राजकोष में जमा किया जायेगा तथा राजकोष में जमा करके शासन को अवगत कराया जायेगा।

6- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को अहरित करेगा, वही उसके उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए संबंधित सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी जिम्मेदार होगा।

7- फर्म को धनराशि की भुगतान की तिथि से फर्म द्वारा एक माह के अन्दर मदरसों की सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जायेगी।

8- क्रय के संबंध में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग एवं वित्त विभाग के संसुगत नियमों एवं शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण (के0100/रा0-के0)- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस -2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(इच्छाराम)
अनु सचिव

संख्या-१०१(1)/52-3-19-तददिनांक।

प्रतिलिपि-

1-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704 , जवाहर भवन, लखनऊ।
5-वित्त (ई-11) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(02 प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3 संबंधित सहायक/गार्ड फाईल।
6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
7-प्रबन्ध निदेशक, श्रीट्रान इण्डिया लि0 गोमती नगर, लखनऊ।

आज्ञा से,
(इच्छाराम)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in